न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 49/15 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रामोतार सैनी पुत्र तेजाराम सैनी जाति माली निवासी किसान कालोनी तहसील बानसूर जिला अलवर

2. राजेश कुमार सैनी पुत्र रामसिंह सैनी जाति माली निवासी बाढ पुरोहित तहसील बानसूर जिला अलवर

:---- अपीलांट वादीगण

बनाम

1 श्रवणसिंह पुत्र गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी चतरपुरा
2 रतिपालसिंह पुत्र गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी चतरपुरा
3 भगवती पत्नि गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी चतरपुरा
4 तेजकंवर पुत्री गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी चतरपुरा
5 विमलाकंवर पुत्री गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी चतरपुरा
तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:------ असल रेस्पो0 प्रतिवादी

6 तहसीलदार बानसूर जिला अलवर

:--- तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बानसूर

दिनांक 24.6.2015

उपस्थित :– वकील अपीलांट :– श्री अनिल गुप्ता

वकील असल रेस्पो0 :– श्री ब्रहमप्रकाश यादव

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 26.9.2019

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर, भानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.6.2015 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत किया । दौराने विचारण वाद प्रार्थी प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के द्वारा जिन खसरा नम्बरान की बाबत अनुतोष चाहा गया है, उन खसरा नम्बरान के खातेदार काश्तकार वादीगण नहीं है । जिस इकरारनामे के आधार पर वादीगण ने अपना कब्जा होना बताया है, उसके आधार पर वादीगण का कब्जा नहीं है । इकरारनामे के आधार पर अनुतोष दिया जाना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है,जिसके विरूद्ध वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि प्रार्थी रेस्पो0 को अपनी आपत्ति आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में उठाने का कोई राईट नहीं है । उसे अपनी आपत्ति जवाब दावा में उठानी चाहिये थी । इस पर एक विधिक तनकी कायम की जानी चाहिये थी । तत्पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । विवादित भूमि हमारी खरीदी हुई भूमि है, जिस पर हम काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं । ये लोग हमारे कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते हैं । इनको पाबन्द कराने का हमको अधिकार है । हमारा वाद पत्र धारा 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत है, जिसे प्रतिवादी से जवाब दावा लेकर तनकियात कायम कर निर्णित करना चाहिये था । परन्तु तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर इनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हमारा वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि इन्होंने वाद पत्र इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया है । इकरारनामा की पालना कराने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । इसके लिये सिविल न्यायालय ही सक्षम है । तहत न्यायालय ने सही तौर पर हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादी ने इकरारनामा की पालना कराने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । इकरारनामा की पालना कराने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि धारा 188 आर0 टी0 एक्ट का वाद पत्र वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है, जो खातेदार हो, काबिज हो और लगान देता हो । तहत न्यायालय में जो जमाबंदियां प्रस्तुत की गई है, उनमें वादीगण खातेदार दर्ज नहीं है ।

6 इसके पश्चात आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0 पी0 सी0 में प्रावधान दिया गया है कि जहां वाद पत्र किसी कानून से वर्जित है, वहां वाद पत्र नामंजूर कर देना चाहिये । मौजूदा प्रकरण में वादी ने इकरारनामा के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है । इकरारनामा के आधार पर किसी भी प्रकार का राईट तय करना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, ना कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में । इस प्रकार वादी का वाद कानून बाधित है । कानून बाधित होने के कारण ही विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदे श है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.6.2015 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 26/9/19

(कमल राम मीना)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner